रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 2006/आश्विन 24, 1928
No. 495] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2006/ASVINA 24, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 640(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में,

(i) क्रम संख्या में 87 "रेयन उद्योग के लिए उत्सर्जन विनियम" से संबंधित उप-पैरा 'ग' के लिए निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा:–

"ग. ऐसे नए संयंत्रों/परियोजनाओं का विस्तार जो 1-6-1999 को या उसके बाद चालू किए जाने हों, के लिए

ऐसे नए संयंत्रों या परियोजनाओं का विस्तार के लिए विद्यमान संयंत्रों, जो उपर्युक्त (क) के अंतर्गत आने वाले विद्यमान संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानक उपर्युक्त (ख) में इंगित सीएस$_2$ और एच$_2$एस के लिए परिवेशी वायु क्वालिटी मानदंडों का अनुपालन करते हों, के अधीन होंगे। नए संयंत्र या परियोजनाओं के विस्तार रिट्रोफिटिंग्स लगाने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करेंगे।

(टिप्पण : उपर्युक्त क और ख नए संयंत्रों और परियोजनाओं के विस्तार को भी लागू होंगे)।";

(ii) क्रम संख्या 89 में, "पटाखों के लिए ध्वनि प्रदूषण", से संबंधित उप-पैराग्राफ ग के बाद निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"घ. निर्यात के प्रयोजन हेतु पटाखों के ऊपर उप-पैराग्राफ क, ख और ग से छूट होंगी बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हों नामश :–

(i) विनिर्माता के पास कोई नियति आदेश हो;

(ii) पटाखे उस देश के विहित स्तरों के अनुरूप होंगे जिन्हें इसका निर्यात किया जाता हो;

(iii) वे विभिन्न पैकिंग कलर कोड में होंगे, और

(iv) बॉक्स पर यह घोषणा अंकित होगी "भारत में बिक्री के लिए नहीं" या "केवल अन्य देशों में निर्यात के लिए।"

[फा. सं. क्यू. 15017/30/2004-सी पी डब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 464(अ), दिनांक 7 अगस्त, 2006 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2006

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,

(i) In serial number 87 relating to the "Emission Regulation for Rayon Industry," for sub-paragraph c, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"c. For new plants/expansion projects being commissioned on or after 1-6-1999

For new plants or expansion projects, the emission standards for existing plants covered in (a) above shall apply subject to compliance of the ambient air quality norms for CS_2 and H_2S indicated in (b) above. The new plants or expansion projects shall provide adequate space for undertaking retrofittings.

(**Note:** a and b above also apply to new plants or expansion projects).";

(ii) In serial number 89 relating to "Noise standards for fire crackers", after sub-paragraph C, the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"D. The fire crackers for the purpose of export shall be exempted from the sub-paragraphs A, B and C above, subject to the compliance of the following conditions, namely :—

(i) the manufacturer shall have an export order;

(ii) the fire crackers shall conform to the level prescribed in the country to which it is exported;

(iii) they shall have a different packing colour code, and

(iv) there shall be a declaration on the box "not for sale in India" or "only for export in other countries."

[F. No. Q. 15017/30/2004-CPW]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), 19th November, 1986 and subsequently amended and lastly amended *vide* G.S.R. 464(E), dated 7th August, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.